रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 1973/माघ 23, 1894

No. 33] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 1973/MAGHA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 12th February 1973

G.S.R. 60(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, from the whole of the duty of excise leviable thereon, all plastic materials in any form [falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)], reprocessed from, or produced out of, scrap or waste of,—

(i) plastic materials.

(ii) articles of plastics.

[No. 23/73.]

K. VISWANATHAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1973

सा० का० नि० 60(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार

(i) प्लास्टिक सामग्रियों,

(ii) प्लास्टिक की वस्तुओं,

के कतरन या अपशिष्ट से पुनः प्रसंस्कृत या उनसे उत्पादित, [केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15-क की उप मद (1) के अन्तर्गत आने वाली], किसी भी रूप की सभी प्लास्टिक सामग्रियों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० 23/73]

के० विश्वनाथन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973